International Journal of Applied Research 2021; 7(1): 01-06

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(1): 01-06
www.allresearchjournal.com
Received: 01-11-2020
Accepted: 03-12-2020

प्रशान्त कुमार पाण्डेय
शोध छात्र वाणिज्य, पं. शम्भूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. राजेश दुबे
प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, पं. शम्भूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
प्रशान्त कुमार पाण्डेय
शोध छात्र वाणिज्य, पं. शम्भूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत

भारत में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा खाद्य नीति का क्रियान्वयन का अध्ययन

प्रशान्त कुमार पाण्डेय, डॉ. राजेश दुबे

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा खाद्य नीति का क्रियान्वयन का अध्ययन किया गया है जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रबंधन व कृषि मूल्य नीति, कृषि उत्पादों का न्यूनतम मूल्य, नाफेड मूल्य समर्थन योजना, मूल्य निर्धारण के सम्बंध CACP का प्रत्यागम, बफर स्टाक, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, बी.पी.एल. योजना, ए.पी.एल. योजना, भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत, खाद्य सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि का अध्ययन किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनायी जा रही खाद्य नीतियों का सफल संचालन किया जा रहा है, जिससे राज्य के निम्न वर्ग को सम्बल मिल रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में खाद्य नीतियों के क्रियान्वयन के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर व्यापक प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्दः मध्य प्रदेश, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्य प्रदेश, खाद्य नीति, क्रियान्वयन

प्रस्तावना
मध्य प्रदेश राज्य में खाद्य नीति योजना का आरम्भ लाभकारी दरों में किसानों से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, समाज में गरीब श्रेणी को कम कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण और सुरक्षा तथा मूल्य को स्थिर बनाये रखने के लिए खाद्य बाजार का अनुरक्षण है। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्यान्नों की किसानों के हितों को देखते हुए लाभप्रद मूल्यों पर खरीदकर, वफर स्टॉक कायम रखने तथा भण्डारण परिवहन और खाद्यान्नों की दरों में स्थिरता लाना इत्यादि आते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वस्तुओं का न्यूनतम प्राप्य मूल्य बुआई मौसम के शुरू होने से पहले ही घोषित करती है, जिससे किसान फसल बोने सम्बन्धी निर्णय ले सकें।
खाद्य नीति के सम्बन्ध में मूल्य नीति के दोहरे उद्देश्य हैं – किसानों को उनके उत्पादनों का अच्छी कीमत और लाभप्रद मूल्य मिल सके जिससे कृषि में निवेश तथा उत्पादन प्रोत्साहित हो और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को अच्छी कीमत पर कृषि वस्तुओं की पूर्ति उपलब्ध हो सके।
मध्य प्रदेश सरकार ने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 3 क्रियात्मक नीति का प्रयोग करती हैं – खाद्य नीति के माध्यम से पूर्व निर्धारित खरीद मूल्य, वसूली मूल्य, न्यूनतम समर्थित मूल्य पर जो किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य देता है। इस नीति के अन्तर्गत उचित मूल्यों पर चुनी हुई वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा पूरा करना होता है। इसके अलावा खाद्यान्नों, चीनी, खाद्य तलों, दाल इत्यादि को खुले बाजार में देना ताकि खुले बाजार में इनका मूल्य एक निर्धारित सीमा में रहे। भारतीय खाद्य निगम एक ऐसी नोडल एजेन्सी है जो खाद्यान्नों की वितरण, भण्डारण, और अधिप्राप्ति करती है। यह अधिकांशतः अपने कार्यों को पी.डी.एस. के द्वारा करती है।

शोध विधि
शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया है। प्राथमिक आंकड़ों के प्रयोग हेतु अनुसूची का प्रयोग और द्वितीय आंकड़ों के लिए पत्र–पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों एवं शोध पत्रों इत्यादि का प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हितग्राहियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की दशा को जानने के लिए साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्र कर उनका विश्लेषण किया गया है।

पूर्व अध्ययन समीक्षा
पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है,

जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से गुप्ता, डॉ. सी.बी. (1985)[1] व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, डॉ. प्रसाद (2018)[2] सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शुक्ला, डॉ. अखिलेश (2018–19)[3] रीवा दर्शन, सस्करण, मिश्रा, एस. एण्ड पुरी, वी.के. (2007)[4] भारतीय अर्थव्यवस्था, सिन्हा, डॉ. वी.सी. एवं सिन्हा, डॉ. पुष्पा (2009)[5] व्यावसायिक पर्यावरण, त्रिवेदी, डॉ. आर.एन., शुक्ला, डॉ. डी.पी. (1993–94)[6] रिसर्च मैथ्डोलॉजी से सम्बन्धित कार्य किये है।

कृषि उत्पादों का न्यूनतम मूल्य

इस नीति के अन्तर्गत सरकार प्रमुख कृषि वस्तुओं के विषय में न्यूनतम समर्थित मूल्य और वसूली मूल्य की घोषणा वर्ष में दो बार करती है – रबी मौसम और खरीफ के मौसम में। भारतीय खाद्य निगम, सरकार द्वारा वसूली मूल्य और न्यूनतम मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सहमति के आधार पर करती है।

वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग (CACP) आयोग स्थापना किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष प्रो. एम.एल. दाँतवाला को बनाया गया था और CACP का नया नाम जो 1985 में दिया गया है। सरकार द्वारा पहली बार न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा वर्ष 1966–67 में गेहूँ के विषय में हरित क्रान्ति में गेहूँ के उत्पादन में हुआ था। इसके माध्यम से अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाली हानियों से किसानों को संरक्षण करना होता है।

सार्वजनिक खाद्य निगम में न्यूनतम समर्थित मूल्य (MSP) को अनुशंसित करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) निम्नलिखित महत्वपूर्ण अनुसंशित कारणों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें आगतों के मूल्य में परिवर्तन, उत्पादन लागत, बाजार मूल्य की प्रवृत्ति, सामान्य मूल्य स्तर पर पड़ने वाला प्रभाव, मांग तथा पूर्ति की दशा, जीवन निर्वाह लागत तथा प्रभाव इत्यादि इसके अन्तर्गत आते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के माध्यम से आगतों के मूल्य के सम्बंध में आगत मूल्य निर्देशांक (VIPI) तैयार किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वह ऊर्वरक, कीटनाशक, विद्युत, टैक्टर, डीजल इत्यादि सम्मिलित किया जाता है।

मध्य प्रदेश सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की प्रस्तुत और राज्य सरकारों तथा सम्बंधित विभागों और केन्द्रीय मंत्रालयों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विभिन्न उपजों के विषय में न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा किया जाता है।

खाद्य नीति के अन्तर्गत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग आर्थिक समीक्षा 2015–16 के अनुसार 23 महत्त्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा किया गया था, इसके अन्तर्गत बाजरा, धान, गेहूँ, ज्वार, रागी और मक्का आते हैं। इसमें पाँच प्रकार के दालों को सम्मिलित किया गया है, जिनके नाम क्रमशः अरहर, चना, मूँग, उड़द एवं मसूर तथा सात प्रकार के तिलहनों – सूरजमुखी, मूँगफली, सोयाबीन, रेपसीड, सरसों और कुसम्भ एवं नारियल तथा अन्य में जूट, डी हस्कूड, कोकोनट और गन्ना इत्यादि के मूल्य की भी घोषणा की गयी है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 7 तिलहनों (जिसमें कसम और सोयाबीन भी सम्मिलित है), 7 अनाजों, 5 दालों और 4 अन्य के लिए डैच की घोषणा करता है। वर्ष 2015–16 के पहले तिलहन वर्ग में आयोग ने लोरिया का मूल्य घोषित करता था लेकिन वर्तमान समय में इसे हटा दिया गया है और प्रभावी मूल्य सहायता प्रमुखतः चावल और गेहूँ के पक्ष में कुछ ही राज्यों में संचालित होता है। कपास, तम्बाकू, गन्ना और जूट खाद्य भिन्न फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने गन्ने के विषय में उचित एवं लाभप्रद मूल्य की प्रशंसा करता है लेकिन किसानों को क्या प्राप्त होगा, इसकी घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तथापि इस मूल्य को अनुमोदित आर्थिक मामलों की मंत्रीमण्डलीय समिति के माध्यम से की जाती है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चावल और गेहूँ के लिए मूल्य समर्थन योजना का संचालन किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित न की गयी एवं सामान्य व अतिशीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी तथा कृषि कार्य से सम्बद्ध वस्तुओं की अत्यधिक प्राप्ति हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपरोक्त सम्बंधित वस्तुओं के सम्बंध में कृषकों को लाभ पहुँचाना है। बाजार में हस्तक्षेप योजना 16 अगस्त 2007–08 से भारतीय कृषि मिशन के अन्तर्गत चल रही है। सरकारों की विशेष आग्रह पर यह योजना शुरू की जाती है। इस प्रकार बाजार में हस्तक्षेप योजना के द्वारा अत्यधिक प्राप्ति की केन्द्रीय एजेन्सी NAFED है। बाजार में हस्तक्षेप योजना के द्वारा होने वाली लॉस में केन्द्र और राज्य की हिस्सेदारी बराबर है और उत्तरी पूर्वी राज्यों के सम्बद्ध में 75:25 की हिस्सेदारी है। यह बात स्पष्ट रूप से विदित है कि जब भी दालों, तिलहनों तथा कपास की कीमते समर्थन मूल्य से नीचे जाता है, तो NAFED के खरीद के माध्यम से न्यूनतम सर्मथन मूल्य को कायम रखता है। बाजार में हस्तक्षेप योजना संचालन द्वारा लाभ अत्यधिक प्राप्ति एजेन्सियों के माध्यम में रखा जाता है।

नाफेड मूल्य समर्थन योजना (PSS)

मूल्य समर्थन योजना के संचालन हेतु नाफेड द्वारा राज्य संस्थाओं की नियुक्ति होती है। राज्य संस्थाओं के द्वारा हुई किसी भी प्रकार की लॉस की भरमाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के 15 प्रतिशत तक की जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार जिलों के संचालन हेतु कार्यशील पूँजी देती है। इस सम्बंध में निम्नलिखित शब्दों का स्पष्टीकरण –

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा मध्य प्रदेश सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली खाद्यान्नों की पूरी मात्रा खरीद के लिए तैयार हो। बाजार में जब खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट आती है, तो राज्य सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर क्रय कर उनके हितों की रक्षा कर सकती है। यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम कीमत है जिसे सभी कृषकों को अपनी खाद्य फसलों हेतु अनिवार्य रूप से मिलता है और इस न्यूनतम मूल्य की घोषणा प्रत्येक मध्य प्रदेश राज्य द्वारा खाद्य फसल को बोने से पहले ही कर दी जाती है, यदि इसे कृषकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए देखा जाय तो यह एक प्रकार का बीमा है, जिसे मध्य प्रदेश शासन कृषकों को उस दशा में से सुरक्षित करने हेतु प्रदान करती है, जब खाद्य फसलों की बेहतर उपज और अत्यधिक पूर्ति के पश्चात कीमतों में गिरावट आती है।

खरीद मूल्य

मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम कीमत है जिसकी घोषणा सरकार द्वारा वर्ष में रबी और खरीफ फसलों के समय होती है, और इसी कीमत पर मध्य प्रदेश शासन खाद्यान्नों की क्रय करती है। क्रय मूल्य को निर्धारित करते समय विशेष ध्यान दिया जाता है कि किसानों को एक ओर खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले और दूसरी ओर निर्धनतम श्रेणी को भी उचित कीमत कृषि उत्पाद वस्तुएँ मिल सकें। खरीद मूल्य की घोषणा फसलों के कटाई के समय की जाती है। खरीद मूल्य न्यूनतम समर्थित मूल्य के बराबर या उससे अत्यधिक हो सकती है अर्थात कम नहीं। खरीद मूल्य माँग एवं पूर्ति मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित बाजार कीमत से अधिकांशतः अत्यधिक हो सकता है।

दोहरी मूल्य निर्धारण पद्धति (DP)

भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य संस्थाओं द्वारा इस बात का विशेष ध्यान गया है कि वर्ष 2006 में गेहूँ की वसूली में 30 प्रतिशत की कमी आयी है क्योंकि निजी व्यापारियों द्वारा कृषकों को सरकारी कीमतों से अधिक उचित कीमत प्राप्त हुआ है।

इसलिये मध्य प्रदेश सरकार कृषि उत्पादों के सम्बंध में दोहरी मूल्य निर्धारण योजना शुरू की, जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार कृषि लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थित मूल्य के अतिरिक्त कृषकों को एक परिवर्तनीय दर (Variable rate) भी उपलब्ध करायेगी जो खुले बाजार मूल्य के परिवर्तनों के साथ सम्बद्ध होगा।

निकासी मूल्य (IP)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा निकासी मूल्य वह मूल्य है जिसके अन्तर्गत सरकार भण्डारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित कीमत की दूकानों और आटा मिल मालिकों का अनाज मुहैया करती है। इस प्रकार निकासी मूल्य योजना वह मूल्य है जो भारतीय खाद्य निगम राज्यों को अनाज निर्गमित करने पर प्राप्त होता है।

आर्थिक लागत

मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत के तीन प्रमुख घटक होते हैं – किसानों को दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभ, कृषि सम्बंधित उत्पादों के खरीद पर सहायक खर्च और वितरण लागत।

बाजार मूल्य (MP)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिसके अन्तर्गत प्रचलित माँग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित की गयी है।

बफर स्टाक

मध्य प्रदेश सरकार के सामने कुछ आकस्मिक परिस्थितियों जैसे अकाल, फसल खराब होने की स्थिति और सूखा इत्यादि से बचाव करने और कीमतों में अचानक तथा अत्यधिक वृद्धि होने से राज्यों के जनजीवन को संरक्षित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल और गेहूँ के स्टाक के अलावा राज्य सरकार के अधीन एक स्टाक होती है, जिसे बफर स्टाक कहते हैं। अचानक विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए चावल और गेहूँ की आपूर्ति बफर स्टाक द्वारा दी जाती है जिससे एक ओर इनकी पूर्ति की उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ते और दूसरी ओर उत्पादों के पूर्ति की कमी होने के कारण इनके कीमत में वृद्धि नहीं होते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा 5 जुलाई 2013 से प्रारम्भ हुई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए बफर स्टॉक मापदण्ड में कुछ सुधार किये गये हैं। संशोधित बफर स्टॉक मापदण्ड इस प्रकार हैं–

सारणी 1: संशोधित बफर स्टॉक मापदण्ड (टन में)

दिनांक पर	चावल	(जनवरी 2015) गेहूँ	कुल टन में
1 अप्रैल	13.58	7.46	21.04
1 जुलाई	13.54	27.58	41.12
1 अक्टूबर	10.25	20.52	30.77
1 जनवरी	7.61	13.80	21.41

स्रोत – मध्य प्रदेश का वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2015

मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों के उत्पादन से खाद्यान्नों का वितरण पक्ष का कम महत्व नहीं है। एक ओर जहाँ खाद्यान्नों के उत्पादन में मानसून का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है वहीं दूसरी ओर निजी व्यापारियों के हाथों में खाद्यान्नों का व्यापार आने के कारण वे अत्यधिक लाभार्जन की दृष्टिकोण से खाद्यान्नों को दबाकर कीमतों में बढ़ोत्तरी लाने की कोशिश करते हैं और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश राज्य में गरीबी रेखा से नीचे निम्न वर्गों की संख्या अत्यधिक होने के कारण वे खाद्यान्नों को बाजार मूल्य पर खरीद करने की दशा में नहीं होते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने राशनिंग का सहारा, खाद्यान्नों की कमी की समस्या से उबरने के लिए लिया था। खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होने पर इसे 1954 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन कीमतों में पुनः बढ़ोत्तरी होने के कारण वर्ष 1955 में आंशिक राशनिंग दोबारा प्रारम्भ हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1959 में खाद्यान्न जाँच आयोग 1957 की सिफारिश पर जिलों द्वारा थोक व्यापार के प्रावधान को लागू किया। इस योजना के तहत जिला व्यापार चावल तथा गेहूँ, दो उत्पादों तक सीमित रखा गया, लेकिन इस योजना में अनेक समस्या आने पर सरकार ने इसे छोड़ दिया। वर्ष 1964 में खाद्य क्षेत्रों (Food Zone) का गठन किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा खाद्यान्नों की प्राप्ति और वितरित करना सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 1965 में कृषि मुख्य आयोग का गठन हुआ जिसके पहले अध्यक्ष एम.एल. दाँतवाला थे। इस आयोग के द्वारा खाद्य क्षेत्रों का विरोध किया गया और वर्ष 1977 में गेहूँ से सम्बंधित खाद्य क्षेत्र को बन्द कर दिया गया अर्थात् सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) के मतानुसार खाद्यान्नों के सम्बंध में समर्थित मूल्य तथा न्यूनतम खरीद कीमत निर्धारित करती है तथा सार्वजनिक वितरण के माध्यम से पूर्ति का समायोजन किया जाता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का क्रियान्वयन

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सभी जिलों में क्रियान्वित कर दिया गया है और इस अधिनियम के अधीन अत्यधिक 81.35 करोड़ लोगों के औसत में से लगभग 80 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण के माध्यम से अधिक से अधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत औसत की दो वर्ग हैं अर्थात् एक अंत्योदय अन्य योजना और दूसरी प्राथमिकता वाले परिवार। अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार और प्राथमिकता वर्ग के अन्तर्गत 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुहैया की जाती है।

लाभार्थियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम प्रवृत्त होने की तारीख से शुरूआत में तीन वर्ष की अवधि के लिए 3/2/11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न अर्थात् गेहूँ/चावल/मोटा अनाज प्राप्त करने की पात्रता है। इसके बाद राज्य सरकार माध्यम से समय–समय पर कीमतों को निर्धारित किया जाता था, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अत्यधिक नहीं हों। राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत उपर्युक्त राजसहायता प्राप्त कीमतों को आवंटित रखने का फैसला लिया है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को वर्ष 2019–20 के दौरान जिलों के भीतर खाद्यान्नों के प्रचलन और उचित मूल्य दूकानों के एजेण्डों के मार्जिन पर किये गये खर्च को पूरा करने हेतु राजसहायता के रूप में 1433.26 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन ऐसी स्कीम पहली बार बनायी गयी है। जबकि पूर्ववर्ती लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकारों के द्वारा खर्च स्वयं निर्वहन करना अथव लाभार्थियों से वसूल करना अपेक्षित था।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रमुख सुधार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुधारों के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालनों में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन सम्बंधी योजना क्रियान्वित कर रहा है।

कम्प्यूटरीकरण योजना के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले सभी 23.4 करोड़ राशन कार्डों का डिजिटीकरण कर दिया गया है। खाद्यान्नों का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

अपात्र और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने और उनकी छटाई करने तथा खाद्य राजसहायता को सही तरीके से लक्षित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों के आधार नम्बर की सीडिंग उनके राशन कार्डों में की जा रही है। फिलहाल सभी राशन कार्डों में से 88 प्रतिशत राशन कार्डों की सीडिंग कर दी गयी है।

इस योजना के भाग के रूप में, प्रमाणीकरण और बिक्री के लेन–देन के इलेक्ट्रानिक रिकॉर्ड के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के लिए सभी उचित मूल्य दूकानों पर इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण लगाए जा रहे हैं। दिसम्बर 2019 के स्थिति के अनुसार, कुल 5.34 लाख उचित मूल्य दूकानों में से 4.67 लाख उचित मूल्य दूकानों को देश भर में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल का उपयोग करके स्वचालित बना दिया गया है। लाभार्थियों का मासिक आधार पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने के पश्चात इन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों के द्वारा 60 प्रतिशत से अत्यधिक खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है।

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों द्वारा किसी भी उचित मूल्य दूकान, जहाँ भी इलेक्ट्रोनिक प्वाइंट ऑफ सेल तंत्र स्थापित किया गया हो, से अपनी पात्रता के खद्यान्नों का उठान करने की सुविधा 16 राज्यों में किया गया है जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश, झारखण्ड आंध्रप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, त्रिपुरा, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब में और बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के कुछ उचित मूल्य दूकान क्षेत्रों और जिलों में प्रारम्भ की गयी है।

जनवरी 2020 से 12 राज्यों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड स्कीम के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर–राज्य पोर्टेबिलिटी प्रचालन में है। इनके अन्तर्गत सम्मिलित राज्य है – मध्य प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा, झारखण्ड और गुजरात।

राशन कार्डों और लाभर्थियों के रिकार्डों के डिजिटिकरण, आधार पर सीडिंग के कारण डि–डुप्लीकेशन, स्थानांतरण और प्रवास और मृत्यु, लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के शुरू किये जाने तथा क्रियान्वयन के दौरान वर्ष 2013 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा कुल 2.98 करोड़ राशन कार्ड निरस्त किया गया है।

किसानों की सहायता

वर्ष 2019–20 के दौरान रबी विपणन मौसम, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन दर पर 341. 32 लाख टन गेंहू की खरीद की गयी थी।

वर्ष 2018–19 के दौरान खरीफ विपणन मौसम, सरकारी संस्थाओं के द्वारा केन्द्रिय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन दर पर चावल के रूप में 443.99 लाख टन धान की खरीद की गयी थी। इसके अलावा वर्तमान खरीद विपणन मौसम 2019–20 में 20.12.2019 यथास्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन पर चावल के रूप में 214.68 लाख टन की खरीद की गयी है जबकि खरीफ विपणन मौसम 2018–19 में तदनुसार अवधि के दौरान चावल के रूप में 205.27 लाख टन धान की खरीद की गयी थी। वर्ष 2018–19 खरीफ विपणन मौसम के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद से कुल 97,05,105 कृषक लाभान्वित हुये थे जबकि रबी विपणन मौसम 2019–20 के दौरान 35,57,080 कृषक गेंहू की खरीद से लाभान्वित हुए थे। दिनांक 20.12.2019 की स्थिति के अनुसार 44,01,693 कृषक धान की खरीद से लाभान्वित हुए हैं।

भारतीय खाद्य निगम और राज्य संस्थाओं द्वारा रबी विपणम मौसम 2019–20 के दौरान कुल 15,193 खरीद केन्द्र चलाए गये थे। खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश में धान की खरीद के लिए 107 खरीद केन्द्र संचालित किये गये थे और वर्तमान खरीद विपणन मौसम 2019–20 के दौरान धान की खरीफ फसल की खरीद के लिए 636 खरीद केन्द्र चलाए जा रहे है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों की ऑनलाईन खरीद प्रणाली से गेंहू, चावल, धान और मोटे अनाज के खरीद सम्बंधी आकड़े लेने के लिए भारतीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल का विकास किया है, इस पोर्टल का विकास करने का प्रयोजन रियल–टाईम आधार पर।

मध्य प्रदेश के लिए सम्पूर्ण रूप से खरीद के आकड़ों का ऑनलाईन समेकन सक्षम बनाने हेतु केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन किसानों के पंजीकरण से शुरू करके उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का अन्तिम वितरण करने तक खरीद संचालनों के सम्पूर्ण विस्तार की निगरानी करने हेतु एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड बनाना है ताकि इस सूचना के आधार पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टे तैयार की जा सकें और सार्वजनिक डोमेन में सूचना लाकर पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के लिए राष्ट्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल के अधीन 14 राज्य आकड़ों को साझा कर रहे है।

खरीद बढ़ाना

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए राज्य के जिलों के लिए 5 वर्षीय योजनाएं तैयार की गयी हैं। इन जिलों से चावल की खरीद बढ़ाने तथा जिलों के विभिन्न धान उत्पादक में सभी कृषकों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्यों में खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के दौरान चावल के रूप में 71.63 लाख टन धान की खरीद की गयी है। अब तक खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में दिनांक 16.12.2019 की स्थिति के अनुसार चावल के रूप में 19.24 लाख टन धान की खरीद की गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण, खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य शासन ने चावल के रूप में 0.18 लाख टन धान की खरीद की है।

राष्ट्रीय खाद्य विभाग ने खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में 20257.76 टन तूर और 4.72 टन उड़द के अतिरिक्त रबी विपणन मौसम 2016–17 के दौरान 15194.22 टन चना और 4335.79 टन मसूर की खरीद की थी। राष्ट्रीय खाद्य निगम ने खरीफ विपणन मौसम 2016–17 के दौरान, 64737.16 टन मूँग, 18234.65 टन उड़द और 175201.40 टन तूर की थी तथा मध्य प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में दलहन के उत्पादकों को लाभप्रद कीमत दिया था। राष्ट्रीय खाद्य निगम ने उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार रबी विपणन मौसम 2017–18 से दलहन की क्रय में भाग नहीं लिया था।

किसान कल्याण विभाग एवं कृषि, सहकारिता के दिनांक 11.10. 2018 के पत्र के माध्यम से दिये गये आदेशानुसार, राष्ट्रीय खाद्य निगम ने पीएसएस योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2018–19 में नेफेड के साथ मध्य प्रदेश राज्य में दलहन और तिलहन की खरीद की थी।

खाद्यान्न प्रबंधन में सुधार करना

डिपो ऑनलाईन प्रणाली में भारतीय खाद्य निगम ने अपना ई–खरीद माडयूल विकसित किया है और राज्य के पास अपना ई–खरीद साफ्टवेयर नहीं है, तो उनके लिए उपयोग हेतु भारतीय

खाद्य निगम का ई–खरीद साफ्टवेयर उपलब्ध है। खरीफ विपणन मौसम 2017–18 से ई–खरीद माडयूल के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद की जा रही है ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और कृषकों को सुविधा हो सके।

मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन खरीद प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम में डिपो ऑनलाइन प्रणाली के अन्तर्गत मंडी स्तर पर रियल टाइम आधार पर खरीद प्रचालनों की रिकार्डिंग करने के लिए ई–खरीद माडयूल कार्यान्वित करने की प्रक्रिया जारी है।

मध्य प्रदेश राज्य में खाद्यान्नों का संचलन अधिशेष वाले क्षेत्रों से स्टॉक हटाने, कमी वाले क्षेत्रों की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याण योजनाओं आवश्यकताएँ पूरी करने तथा कमी वाले क्षेत्रों में बफर स्टॉक बनाने के लिए भी किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष भर भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 8 मिलियन टन खाद्यान्नों की ढुलाई की जाती है। खाद्यान्नों का संचलन सड़क मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग द्वारा किया जाता है।

भण्डारण में सुधार करना

मध्य प्रदेश में निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.12.2019 तक 1.46 लाख टन क्षमता के नए गोदामों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस समय के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अधीन राज्य सरकारों के माध्यम से 50 टन क्षमता और राष्ट्रीय खाद्य निगम द्वारा 2500 टन क्षमता पूरी की गयी है। इसके अतिरिक्त 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार 2019–20 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा 36,240 टन क्षमता पूरा किया गया है।

चीनी क्षेत्र के लिए किए गये उपाय

मध्य प्रदेश में पिछले 3 चीनी मौसमों के दौरान चीनी का अधिशेष उत्पादन होने के कारण वर्तमान चीनी मौसम 2019–20 अधिक अग्रनयन और अथशेष स्टॉक के साथ प्रारम्भ हुआ है, जिससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख उत्पादक राज्यों में कुछ चीनी मिल अपने संचालन बंद करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। चीनी मूल्यों को स्थिर रखने के लिए माँग और आपूर्ति सन्तुलन बनाए रखने एवं चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने, ताकि वे कृषकों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम हो सकें, के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये हैं –

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2019 से 31 जुलाई 2020 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए 6 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक का सृजन करना, जिसके लिए बफर स्टॉक के रखरखाव के प्रति राज्य सरकार रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है।

राज्य सरकार द्वारा चीनी मौसम 2019–20 के दौरान राज्यों से 632 लाख टन चीनी के निर्यात की सुविधा करने के लिए चीनी मिलों को सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा अनुमानित 1132 करोड़ रुपय वहन किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा चीनी और चीनी सिरप से ईथेनोल के उत्पादन की अनुमति प्रदान की गयी है और सी–हेवी शीरे से निष्कर्षित ईथेनोल के लिए मिल द्वारा लाभप्रद मूल्य 43.75 रुपये प्रति लीटर की दर पर बी–हेवी शीरे से 54.27 रुपये लीटर की दर पर और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप निष्कर्षित ईथेनोल के लिए 59.48 रुपये प्रति लीटर की दर पर मिल द्वारा लाभप्रद मूल्य निर्धारित किया है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व वर्षों के दौरान किये गये उपायों और निम्न उपायों के परिणामस्वरूप कृषकों को चीनी मौसम 2018–19 के सम्बंध में राज्य परामर्शित मूल्य के आधार पर लगभग 732 करोड़ रुपये की कुल गन्ना मूल्य देयता में से लगभग 842 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा परामर्शित मूल्य के आधार पर 75.06 प्रतिशत गन्ना देयता का भुगतान कर दिया गया है। उचित और लाभप्रद कीमत के आधार पर चीनी मौसम 2018–19 के सम्बंध में कुल 742 करोड़ रुपये की गन्ना देयता में से केवल 892 करोड़ रुपये लक्षित है। वर्तमान चीनी मौसम के दौरान अधिकांश मिलों ने नवम्बर–दिसम्बर में संचालन प्रारम्भ कर दिये है।

भारतीय खाद्य निगम की अन्य उपलब्धियाँ

समझौता ज्ञापन 2019–20 में बहुत अच्छी रेटिंग

मध्य प्रदेश शासन द्वारा समझौता ज्ञापन 2019–20 में एक लक्ष्य, कई गोदामों में 45 दिन का आवंटन रखना है। राष्ट्रीय खाद्य निगम बहुत अच्छी रेटिंग हासिल कर सकेगा, क्योंकि 2019–20 के दौरान 99 प्रतिशत से अत्यधिक गोदामों में खाद्यान्नों का 45 दिन का आवंटन बनाए रखा गया था।

भंडारण निगम

बाजार में कठोर प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद 2018–19 के दौरान राज्य भंडारण निगम ने 642.52 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। राज्य भण्डारण निगम ने वर्ष 2018–19 में शेयर धारकों के लिए 36.52 करोड़ रुपये लाभांश अदा किया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य भंडारण निगम की योजना 0.45 लाख टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करने की है।

नीतिगत परिवर्तन

''सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल का फोर्टिफिकेशन तथा इसका वितरण'' से सम्बंधित राज्य प्रायोजित पायलट स्कीम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चावल का फोर्टिफिकेशन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इसका वितरण सम्बंधी केन्द्रीय प्रयोजित पायलट योजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन सूचित किया है। चावल का आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी–12 से पौष्टिक किया जाना है। इस पायलट योजना को कुल 62.40 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2019–20 से शुरू करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। भारत सरकार द्वारा पायलट योजना राज्यों के लिए 75.25 आधार पर वित्त पोषित की जायेगी। पायलट योजना में आरम्भ में 15 जिलों विशेष रूप से प्रत्येक राज्यों से केवल जिले पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। पायलट योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फोर्टिफिकेशन के विकेन्द्रीकृत मॉडल को मिलिंग के चरण में ब्लेडिंग के साथ अनुमोदित किया गया है। 15 राज्यों – मध्य प्रदेश (सिंगरौली जिला), असम (बोंगइगांव जिला), ओडिशा (मलकान गिरि जिला), आंध्रप्रदेश (वेस्ट गोदावरी जिला), केरल (एर्नाकूलम जिला), महाराष्ट्र (गढ़ चिरोधी जिला), कर्नाटक (मांडिय, मैसूर और यादागिर जिला), गुजरात (नर्मदा जिला), उत्तर प्रदेश (चंदोली जिला), तमिलनाडु (त्रिची जिला), पंजाब (गुरदासपुर और लुधियाना जिला), तेलंगाना (खम्माम जिला), छत्तीसगढ़ (कोंडागाव जिला), उत्तराखण्ड (उधम सिंह नगर का जसपुर ब्लाक) और झारखण्ड (रामगढ़ जिला) ने सहमति दी है और पायलट योजना के क्रियान्वयन के लिए अपने–अपने जिलों की पहचान की है।

बजटीय स्थिति

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार इस विभाग ने वर्ष 2018–19 के 1542.12 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 1403.52 करोड़ रुपये का व्यय किया है, जो 2018–19 के संशोधित अनुमान का 28.36 प्रतिशत है। वर्ष 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन नीति के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु पुरस्कार योजना का प्रारम्भ किया गया जिसकी व्यय की राशि को भी राज्य बजट में सम्मिलित किया

जाता है। राज्य शासन द्वारा यह बजट 1 वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है और उसी वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं के लिए निर्धारित बजट की राशि को व्यय कर समायोजित कराना होता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन अपने निर्धारित बजट के आधार पर राज्य के विकास की योजनाओं को गति प्रदान करता है। वर्तमान समय मध्य प्रदेश राज्य विकास की श्रेणी में अपना स्थान तीव्र गति से वृद्धि कर भारत के मानचित्र में अपने को चिन्हित कर रहा है।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी सफल प्रणाली है जिससे राज्य के निचले तबके के लोगों का उद्धार हो रहा है और वे आज उच्च वर्ग में धीरे–धीरे परिणत होते जा रहे हैं। यह प्रणाली गरीब वर्ग के लोगों को सम्बल प्रदान कर रही है, वर्तमान समय में विश्व स्तर पर फैली हुई इस वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौर में प्रत्येक राज्यों में लॉकडाउन के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने लोगों तक खाद्य सामग्री को पहुँचाने में काफी सहायक सिद्ध हुई है, जिससे लोगों के आत्मविश्वास में कमी नहीं आयी, अन्यथा निचले वर्ग के लोग बिना भोजन के ही इस महामारी में दम तोड़ने को मजबूर हो जाते। मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीब वर्ग के लोगों तक उचित मूल्य पर गेहूँ, चावल, चना एवं नमक (आयोडीनयुक्त) इत्यादि का वितरण किया जाता है, जिससे समाज में इस वर्ग के लोग भी अपनी पहचान बनाने में अपने को सक्षम बना पा रहे हैं।

संदर्भ

1. गुप्ता, डॉ. सी.बी., व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, प्रथम संस्करण 1985, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस 23, दरियागंज, नई दिल्ली–110002.
2. डॉ. प्रसाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, संस्करण 2018, सूचना व प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
3. शुक्ला, डॉ. अखिलेश, रीवा दर्शन, सस्कंरण 2018–19, गायत्री पब्लिकेशन्स, पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रिब्यूटर्स, रीवा (म.प्र.)
4. मिश्रा, एस. एण्ड पुरी, वी. के., भारतीय अर्थव्यवस्था, 19 वां संस्करण–2007, हिमालया पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि., कलकत्ता.
5. सिन्हा, डॉ. वी.सी. एवं सिन्हा, डॉ. पुष्पा, व्यावसायिक पर्यावरण, संस्करण–2009, एस.बी.पी.डी.पब्लिशिंग हाऊस/20–बी, निकट तुलसी सिनेमा आगरा, मथुरा बाईपास रोड, आगरा–282002.
6. त्रिवेदी, डॉ. आर.एन., शुक्ला, डॉ. डी.पी., रिसर्च मैथ्डोलॉजी, संस्करण–1993–94, 83, त्रिपालीया बाजार, जयपुर–2, राजस्थान.